



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2008/ज्येष्ठ 30, 1930

No. 839]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2008/JYAISTHA 30, 1930

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 18 जून, 2008

New Delhi, the 18th June, 2008

का.आ. 1502(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 8 के साथ पठित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालन क्रियाओं में सुरक्षा) नियम, 2008 के नियम 174 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालन क्रियाओं में सुरक्षा) नियम, 2008 में निर्दिष्ट अधिकारों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय को सक्षम प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करती है।

S.O. 1502(E).— In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) read with rule 174 of the Petroleum and Natural Gas (Safety in Offshore Operations) Rules, 2008, the Central Government hereby designates Oil Industry Safety Directorate as competent authority to exercise powers and functions as stipulated in Petroleum and Natural Gas (Safety in Offshore Operations) Rules, 2008, with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

[फा. सं. 21016/1/2006-ओ. आर-1 (खण्ड)]

[F.No.21016/1/2006-OR-1 (Part)]

एल. एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव

L. N. GUPTA, Jt. Secy.